

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय-वैढन,(म.प्र.)

—:: विविध आदेश ::—

क्र./ 60/ सीजेएम/ 2026

सिंगरौली, दिनांक : 29.04.2026

मैं शिवचरण पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय वैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से 1 मई से 10 मई, 2026 तक के सार्वजनिक अवकाश में जिला सिंगरौली मुख्या. वैढन एवं तहसील न्यायालय देवसर, सरई में समय 03:00 पी.एम. से 05:00 पी.एम. बजे तक या जब तक कार्य पूर्ण हो, रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण की ड्यूटी निर्धारित करता हूं कि -

मुख्यालय वैढन, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह मई, 2026
1.	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. वैढन	1, 2
2.	श्रीमती तनु गुप्ता जे.एम.एफ.सी. वैढन	3, 10

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह मई, 2026
1.	श्री विष्णुकान्त मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	1, 2, 3
2.	श्री यश भारती, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	10

नोट:-

- रिमांड डियूटी के दौरान यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
- रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे।
- रिमांड डियूटी के दौरान रिमांड डियूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने मुख्यालय के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों सहित अन्य आपराधिक मामलों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे। महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों में रिमांड डियूटी के दौरान उपस्थित पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183(6)(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के

- प्रावधान का पालन करते हुये कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।
4. उपरोक्त रिमांड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखित आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित/लिखित आपसी सहमति प्रेषित करते हुए आपस में रिमांड डियूटी परिवर्तित करवा सकते हैं।
 5. किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमांड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण होने से उनका रिमांड कार्य सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड करेंगे।
 6. मुख्यालय सरई में पदस्थ मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने से सार्वजनिक अवकाश के दौरान उनका रिमांड कार्य/आवश्यक कार्य मुख्यालय देवसर के रिमांड डियूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
 7. यदि किसी कारणवश 1 मई से 10 मई, 2026 में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो मुख्यालय वैठन का रिमांड कार्य श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं मुख्यालय देवसर, सरई का श्री यश भारती, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

— 58 —

(शिवचरण पटेल)

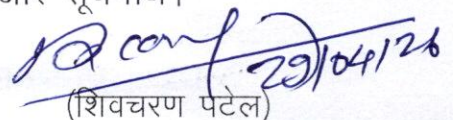
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सिंगरौली, मुख्या. वैठन (म०प्र०)

सिंगरौली, दिनांक - 29.04.2026

पु.क्र./6012/2026
प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुख्या० वैठन, जिला सिंगरौली म.प्र. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैठन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
4. श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैठन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
5. सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, जिला सिंगरौली, म०प्र०।
6. श्री विष्णुकांत मिश्रा, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
7. श्रीमती पूनम सिंह, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
8. श्री यश भारती, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
9. श्रीमती इति प्रजापति, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
10. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
11. जिला नाजिर, जिला न्यायालय वैठन/देवसर जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
12. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय वैठन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
13. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ वैठन/देवसर/सरई की ओर सूचनार्थ।


(शिवचरण पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्या. वैठन (म०प्र०)